न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 33 / 2019

प्रार्थी

1. रूपाराम गोदपुत्र मांगीलाल जाति सीरवी निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. डांवरराम पुत्र रूगाराम
2. कानाराम पुत्र मंगाराम
3. भबूतराम पुत्र मंगाराम
4. हरजीराम पुत्र मंगाराम
5. अमराराम पुत्र किशनाराम सभी जातियान सीरवी निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री जी.एल.कंसारा अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 2 से 5 की ओर से स्वयं उपस्थित ।
अप्रार्थी सं. 6– सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: दिनांक 7/10/24

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अप्रार्थीगण सं. 01 से 05 के विरूद्ध अपने संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा कराने हेतु राजस्व मूलवाद न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है जो मूलवाद न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें सफलता मिलने की प्रार्थी को पूर्ण संभावना हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही जाति के सदस्य हैं तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी ग्राम पिचियाक में निवास करते है। ग्राम पिचियाक पटवार हल्का पिचियाक भू.अभि.नि. क्षेत्र बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर के जमाबंदी के खाता सं. 150 व 42 में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि निम्न प्रकार है खसरा नंबर 684 रकबा 0.06 बिस्वा, खसरा नंबर 684 / 1 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 684 / 10 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 684 / 11 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 684 / 12 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 684 / 13 रकबा 01 बीघा, खसरा नंबर 684 / 14 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 684 / 15 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 684 / 16 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 684 / 17 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 684 / 18 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 684 / 19 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 684 / 2 रकबा 02 बीघा 02

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बिस्वा, खसरा नंबर 684/20 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 684/21 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 684/22 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 684/23 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 684/24 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 684/25 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 684/26 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 684/27 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 684/28 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 684/29 रकबा 01 बीघा, खसरा नंबर 684/3 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 684/30 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 684/4 रकबा 02 बीघा, खसरा नंबर 684/5 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 684/6 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 684/7 रकबा 02 बीघा, खसरा नंबर 684/8 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 684/9 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, उक्त खाता सं. 150 की भूमि के कुल खसरा 31 का कुल रकबा 50 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड खातेदारी में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 2 से 5 का 1/3 हिस्सा है। उक्त खाता सं. 42 की भूमि खसरा नंबर 681/1 रकबा 02 बीघा भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 व 2 का 1/3 – 1/3 हिस्सा है। इस प्रकार उपरोक्त खसरान की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की कब्जासुदा अविभाजित कृषि भूमि है जिसके सबूत में जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र के आगे के पदो में वादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 01 से 05 का बराबर बराबर हक हिस्सा कानूनन बंट व हिस्से में आता है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 01 से 05 अपने अपने बंट व हिस्से पर संयुक्त रूप से काबिज होकर साहूलियत अनुसार काश्त कार्य करते आ रहे है, तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणसं. 01 से 05 का मौके पर अलग अलग खसरान में अपने अपने हिस्से अनुसार बराबरा बराबर बंट व हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है मगर राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा किया हुआ नहीं हुआ है, इसलिए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणअपने अपने बंट व हिस्से में आए उपरोक्त खसरान की भूमि का राजस्व रेकर्ड में नीचे लिखे विवरण अनुसार बंटवाड़ा अमल दरामद कराने के अधिकारीगण है। विवरण निम्न प्रकार है – प्रार्थी के बंट व हिस्से में आई कृषि भूमि का विवरण – खसरा नंबर 684/24 रकबा 2.14 बीघा, खसरा नंबर 684/25 रकबा 1.09 बीघा, खसरा नंबर 684/30 रकबा 2.04 बीघा, खसरा नंबर 684/8 रकबा 0.19 बीघा, खसरा नंबर 684/9 रकबा 1.02 बीघा, खसरा नंबर 684/2 रकबा 1.04 बीघा, खसरा नंबर 684/3 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नंबर 684/6 रकबा 0.15 बीघा, खसरा नंबर 684/15 रकबा 3.06 बीघा, खसरा नंबर 684/16 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नंबर 684/17 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नंबर 681/1 रकबा 0.13 बीघा, कुल खसरा 12 का कुल रकबा 16.19 बीघा कृषि भूमि। अप्रार्थी संख्या 01 के बंट व हिस्से में आई कृषि भूमि का विवरण –खसरा नंबर 684/18 रकबा 3.00 बीघा ,खसरा नंबर 684/19 रकबा 0.19 बीघा, खसरा नंबर 684/20 रकबा 1.04 बीघा, किस्म चाही तृतीय, खसरा नंबर 684/21 रकबा 0.15 बीघा, खसरा नंबर 684/35

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रकबा 1.08 बीघा, खसरा नंबर 684/10 रकबा 1.00 बीघा, खसरा नंबर 684/11 रकबा 1.01 बीघा, खसरा नंबर 684/12 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नंबर 684/1 रकबा 1.00 बीघा, खसरा नंबर 684/2 रकबा 0.15 बीघा, खसरा नंबर 684/3 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नंबर 684/4 रकबा 1.01 बीघा, खसरा नंबर 684/5 रकबा 0.19 बीघा, खसरा नंबर 684/45 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नंबर 684/47 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नंबर 684/49 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नंबर 684/51 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नंबर 681/1 रकबा 0.13 बीघा, कुल खसरा 18 का कुल रकबा 16.19 बीघा कृषि भूमि। अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 के बंट व हिस्से में आई कृषि भूमि का विवरण – खसरा नंबर 684/31 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नंबर 684/22 रकबा 1.04 बीघा, खसरा नंबर 684/23 रकबा 1.07 बीघा, खसरा नंबर 684/32 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नंबर 684/33 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नंबर 684/26 रकबा 0.15 बीघा, खसरा नंबर 684/27 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नंबर 684/28 रकबा 0.19 बीघा, खसरा नंबर 684/29 रकबा 1.00 बीघा, खसरा नंबर 684/7 रकबा 2.00 बीघा, खसरा नंबर 684/34 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नंबर 684/36 रकबा 3.03 बीघा, खसरा नंबर 684/13 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नंबर 684/14 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नंबर 684/39 रकबा 1.01 बीघा, खसरा नंबर 684/40 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नंबर 684/41 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नंबर 684/42 रकबा 0.19 बीघा, खसरा नंबर 684/43 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नंबर 681/1 रकबा 0.13 बीघा, कुल खसरा 20 का कुल रकबा 16.19 बीघा कृषि भूमि। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 01 से 05 के संयुक्त कृषि भूमि का विवरण – खसरा नंबर 684/37 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नंबर 684/38 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नंबर 684/44 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नंबर 684/48 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 684/48 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नंबर 684/50 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नंबर 684/52 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नंबर 681/1 रकबा 0.01 बीघा, कुल खसरा 8 का कुल रकबा 1.10 बीघा कृषि भूमि। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं. 01 से 05 को वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का उपरोक्त पैरा नंबर 02 वर्णित राजस्व रेकर्ड अपने अपने बंट व हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु कई बार कहा जिससे की सभी पक्षकार अपनी कृषि भूमि का उचित उपयोग कर सके परन्तु अप्रार्थीगणसं. 01 से 05 ने किसी भी सूरत में बंटवाड़ा कराना नहीं चाहते है एवं अपनी मनमर्जी से एवं लाठी लकड़ी के बल पर प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल कर बेचान हस्तान्तरण करने आमादा है। प्रार्थी को उपरोक्त वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने एवं काश्त कार्य, ट्रॅक्टर वगैरा लाने ले जाने, निराई गुडाई वगैरा नहीं करने हेतु बार बार तंग परेशान करने एवं काश्त कार्य में बार बार रोकने एवं बाधा उत्पन्न करने से प्रार्थी को मजबूर होकर वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाना चाहता हैं। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 द्वारा हर समय प्रार्थी को अपने हक हिस्से की वादग्रस्त भूमि में काश्त कार्य करने, ट्रॅक्टर वगैरा लाने ले जाने में बाधा उत्पन्न करने व रोक टोक करने से तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 द्वारा एलानिया धमकियां दी गई कि प्रार्थी को वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की कृषि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

भूमि में काश्त करने नहीं देगे तथा ट्रैक्टर वगैरा लाने ले जाने नही देगे तथा वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड मे नही करेगे तथा प्रार्थी को तंग परेशान कर भूमि आवागमन व काश्त नही करने देगे, जबकि वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में प्रार्थी के बंट व हिस्से में आई भूमि पर अप्रार्थीगणद्वारा काश्त कार्य करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। अप्रार्थीगण 01 से 05 वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी को काश्त कार्य नहीं करने देने एवं आवागमन में बार बार रोक टोक कर झगड़ा टंटा करते रहते है जिससे मौके पर हर समय वाद विवाद बढेगा इसलिए अप्रार्थीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना एवं उक्त वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का मौके पर उपरोक्त पैरा नंबर 06 में वर्णित अनुसार कृषि भूमि का सीमांकन कर बंटवाड़ा करवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने आवश्यक है। दिनांक 6/6/2019 को प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का माफिक बंट व हिस्से अनुसार बंटवाडा करने एवं राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा दर्ज कराने का कहने पर अप्रार्थीगणसंख्या 01 से 05 द्वारा बंटवाड़ा करने से बिल्कुल मना कर दिया एवं प्रार्थी के साथ झगड़ा टंटा करने व मारपीट करने पर उतारू हुए। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 द्वारा हर समय प्रार्थी को अपने हक हिस्से की वादग्रस्त भूमि में काश्त कार्य करने, ट्रैक्टर वगैरा लाने ले जाने में बाधा उत्पन्न करने व रोक टोक करने से तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगणसंख्या 01 से 05 द्वारा एलानिया धमकियां दी गई कि प्रार्थी को वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में काश्त करने नहीं देगे तथा ट्रॅक्टर वगैरा लाने ले जाने नहीं देगे तथा वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड में नहीं करेगे तथा प्रार्थी को तंग परेशान कर भूमि आवागमन व काश्त नहीं करने देगे, जिससे मौके पर हर समय वाद विवाद बढ़ेगा जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में नहीं आंका जा सकता है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं क्योंकि वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का मौके पर बाई मिड्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण सं. 01 से 05 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस अगर की सादिर फरमायें कि राजस्व मूलवाद के निर्णय तक वादग्रस्त उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि में से प्रार्थी के अपने हक हिस्से व बंटसुदा कब्जा काश्त कृषि भूमि को उपयोग उपभोग में अप्रार्थी से 01 से 05 न तो स्वयं दखलअन्दाजी करे एवं न ही अपने हाल ही एजेन्ट, नौकर मजदूर वगैरा से करावें। तथा न ही उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का बेधान, हस्तान्तरण वगैरा किसी को करें तथा उक्त वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी को काश्त कार्य करने एवं आने जाने, आवागमन किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें। एवं राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमावें। अन्य अनुतोष जो प्रार्थी के हक में हो सादिर फरमायें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अप्रार्थी सं. 1 की ओर श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 2 से 5 की ओर जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश किए जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद संख्या 1 प्रार्थना पत्र सही होने से स्वीकार है। पद संख्या 2 प्रार्थना पत्र ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की खसरा नम्बर 684, 684/1, 684/10, 684/11, 684/12, 684/13, 684/14, 684/15, 684/16, 684/17, 684/18, 684/19, 684/2, 684/20, 684/21, 684/22, 684/23, 684/24, 684/25, 684/26, 684/27, 684/28, 684/29, 684/3, 684/30, 684/4, 684/5, 684/6, 684/7, 684/8, 684/9 कुल खसरा 31 कुल रकबा 50 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 681/1 रकबा 2 बीघा का विवरण दर्ज किया हुआ है। उपरोक्त खसरान की भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सयुक्त खातेदार है। पद संख्या 3 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की सीमा में खसरा नम्बर 684, 684/1, 684/10, 684/11, 684/12, 684/13, 684/14, 684/15, 684/16, 684/17, 684/18, 684/19, 684/2, 684/20, 684/21, 684/22, 684/23, 684/24, 684/25, 684/26, 684/27, 684/28, 684/29, 684/3, 684/30, 684/4, 684/5, 684/6, 684/7, 684/8, 684/9 कुल खसरा 31 कुल रकबा 50 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 681/1 रकबा 2 बीघा भूमि आयी हुयी है। उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी सख्या 2 से 5 का 1/3 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर काश्त कार्य करता है। प्रार्थी ने जो बंटवाड़ा अलग से बताया है, वह प्रस्तावित बंटवाड़ा गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 684, 684/1, 684/10, 684/11, 684/12, 684/13, 684/14, 684/15, 684/16, 684/17, 684/18, 684/19, 684/2, 684/20, 684/21, 684/22, 684/23, 684/24, 684/25, 684/26, 684/27, 684/28, 684/29, 684/3, 684/30, 684/4, 684/5, 684/6, 684/7, 684/8, 684/9 कुल खसरा 31 कुल रकबा 50 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 681/1 रकबा 2 बीघा पर अप्रार्थी संख्या 1 का प्रत्येक सहखातेदारी भूमि में अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर काश्त कार्य करता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच में कभी किसी प्रकार का कोई पारिवारिक समझौता नहीं हुआ है. न ही कभी कोई प्रस्तावित बंटवाड़ा लिखा गया है। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण का सयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। पद संख्या 4 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का पुत्र हापूराम बिलाड़ा कस्बे एवं गांवो में भूमि खरीद फरोख्त का धंधा करता है। वह कई लोगो की भूमि को हड़प कर चुका है। प्रार्थी तथा उसके पुत्र हापूराम ने आपस में मिलकर उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि में बंटवाड़ा को प्रस्तावित कर जो भूमि बतायी गयी है, वो भूमि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ वाली भूमि तथा लाखों रूपयों की कीमती भूमि है तथा कम उपजाऊ वाली भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में रखना बंटवाड़ा प्रस्ताव में बताया गया है। जो बंटवाड़ा प्रस्ताव कतई गलत होने से अस्वीकार है। पद संख्या 5 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

उपरोक्त भूमि सयुक्त खातेदारी की है। सयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच की भूमि पर कब्जा व काश्त माना जाता है। प्रार्थी ने उपरोक्त पद में मनघडन्त तथ्य लिखे है, जो गलत होने से अस्वीकार है। पद संख्या 6 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है तथा न ही तुलनात्मक सुविधा प्रार्थी के पक्ष में है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने अतिरिक्त कथन पेश किए जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की खसरा नम्बर 684, 684/1, 684/10, 684/11, 684/12, 684/13, 684/14, 684/15, 684/16, 684/17, 684/18, 684/19, 684/2, 684/20, 684/21, 684/22, 684/23, 684/24, 684/25, 684/26, 684/27, 684/28, 684/29, 684/3, 684/30, 684/4, 684/5, 684/6, 684/7, 684/8, 684/9 कुल खसरा 31 कुल रकबा 50 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 681/1 रकबा 2 बीघा स्थित है। जिसकी सयुक्त खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम से दर्ज है। इसके अलावा ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 684/35, 684/45, 684/47, 684/49, 684/51, 684/31, 684/32, 684/33, 684/34, 684/36, 684/39, 684/40, 684/41, 684/42, 684/43, 684/37, 684/38, 684/44, 684/46, 684/48, 684/50, 684/52 की कोई भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं है। प्रार्थी ने अपनी मनमर्जी से खसरा वादपत्र में अंकित कर दिये है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी ने मौखिक साक्ष्य में भी कथित बंटवाडे की कोई तिथि नही बतायी है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है, जिससे यह साबित हो कि उपरोक्त भूमि का कथित बंटवाड़ा पूर्व में हो गया हो और उसी अनुसार काबिज काश्त है। सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच में जब तक शकब्जा काश्त माना जाता है तब तक पक्षकारों में विधिवत बंटवाड़ा नहीं हो जाता है मौखिक साक्ष्य को साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य का होना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 विवादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है. अतः रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारीज करने का आदेश फरमाये।

अप्रार्थी सं. 2 से 5 की ओर जवाब पेश किये जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पैरा सं. 01 से 03 सही होने से स्वीकार है। पैरा सं. 04 का जवाब इस कदर है कि यह सही है कि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरान की कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की स्थित है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि का मौके पर आपस में बंटवाड़ा हो गया है तथा माफिक बंटवाड़ा को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने बंट व हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड मे बंटवाड़ा करवाना चाहते है। प्रार्थी प्रार्थना के इस पद में जो बंटवाड़ा लिखा हुआ है उस बंटवाड़ा माफिक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज है अतएवं पैरा में लिखे अनुसार बंटवाड़ा किया गया है उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा दर्ज करवाना

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

चाहते है, जो बंटवाड़ा हमे स्वीकार है। पैरा सं. 05 का जवाब इस कदर है कि प्रार्थी पैरा सं. 4 में उल्लेखित बंटवाड़ा माफिक न्यायालय द्वारा बंटवाड़े की डिक्री जारी की जावें। अप्रार्थी सं. 2 से 5 ने वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाने का कभी मना नहीं किया है तथा न ही प्रार्थी को अपने बंट की खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु तंग परेशान किया है। अप्रार्थीगण पैरा सं. 4 में उल्लेखित बंटवाड़ा अनुसार अपनी वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 06 का जवाब इस कदर है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 से 5 मौके पर अपने अपने बंट व हिस्से अनुसार अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थी सं. 2 से 5 प्रार्थी को किसी प्रकार से रोक टोक या बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा न ही आवागमन में एवं काश्त करने में कोई रोक टोक कर रहे है। उपरोक्त खसरान की वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का बराबर बराबर बंट व हिस्सा मौके पर है इसलिए प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा दर्ज करवाना चाहता है तो उसमें अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। पैरा सं. 7 गलत होने होने से अस्वीकार है। पैरा सं. 08 का जवाब इस कदर है कि उपरोक्त खसरान की वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की है तथा मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा अपने अपने बंट व हिस्से अनुसार पैरा सं.4 में उल्लेखित बंटवाड़ा अनुसार भूमि का बंटवाड़ा किया जा चुका है तथा मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने वंट व हिस्से में आई भूमि पर काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। इसलिए प्रार्थी को किसी प्रकार से अपूर्णनीय क्षति नही हो रही है।पैरा सं. 09 का जवाब इस कदर है कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतलुन प्रार्थी के पक्ष में नही हैं तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा दर्ज करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र के पैरा से 4 में वर्णित चंटवाड़ा अनुसार बंटवाड़ा की डिक्री जारी की जाने का आदेश प्रदान करावें। अतः जवान प्रार्थना पत्र गय शपथ पत्र पेशकर अप्रार्थीगण का निवेदन है कि उचित आदेश प्रदान करावें। अप्रार्थी सं. 6 सरकारी पैरोकार प्रफोर्मा पक्षकार नहीं होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रकरण के अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है। जिस बाबत् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि ग्राम पिचियाक में खसरा नंबर 684, खसरा नंबर 684/1, खसरा नंबर 684/10, खसरा नंबर 684/11, खसरा नंबर 684/12, खसरा नंबर 684/13, खसरा नंबर 684/14, खसरा नंबर 684/15, खसरा नंबर 684/16, खसरा नंबर 684/17, खसरा नंबर 684/18, खसरा नंबर 684/19, खसरा नंबर 684/2, खसरा नंबर 684/20, खसरा नंबर 684/21, खसरा नंबर 684/22, खसरा नंबर 684/23, खसरा नंबर 684/24, खसरा नंबर 684/25, खसरा नंबर 684/26, खसरा नंबर 684/27, खसरा नंबर 684/28,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नंबर 684/29, खसरा नंबर 684/3, खसरा नंबर 684/30, खसरा नंबर 684/4, खसरा नंबर 684/5, खसरा नंबर 684/6, खसरा नंबर 684/7, खसरा नंबर 684/8, खसरा नंबर 684/9 में प्रार्थी व अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही जाति के सदस्य है उपरोक्त वादग्रस्त खसरान की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की कब्जासुदा अविभाजित कृषि भूमि है। जिसके सबूत में जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 का मौके पर अलग अलग खसरान में अपने अपने हिस्से अनुसार बराबर–बराबर बंट व हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है मगर राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा किया हुआ नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 से 5 को वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड अपने अपने बंट व हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने हेतु कई बार कहा जिससे की सभी पक्षकार अपनी कृषि भूमि का उचित उपयोग कर सके परन्तु अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 ने किसी भी सूरत में बंटवाडा कराना नहीं चाहते है एवं अपनी मनमर्जी से एवं लाठी लकडी के बल पर प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल कर बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण 2 से 5 ने जवाब पेश कर अपने तथ्यों को दोहराया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में जो बंटवाडा लिखा हुआ है उस बंटवाडा माफिक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज है पैरा में लिखे अनुसार प्रार्थी बंटवाडा करवाना चाहता है जो बंटवाडा हमे स्वीकार है। अप्रार्थी सं. 2 से 5 ने वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा करवाने का कभी मना नहीं किया है। ना ही प्रार्थी को अपने बंट की खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु तंग परेशान किया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा दर्ज करवाना चाहते है इसलिए प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 4 में वर्णित बंटवाडा अनुसार बंटवाडा की डिक्री जारी की जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराया कि वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच में कभी किसी प्रकार का कोई पारिवारिक समझौता नहीं हुआ है। न ही कभी कोई प्रस्तावित बंटवाडा लिखा गया है। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। है। प्रार्थी का पुत्र हापूराम बिलाड़ा कस्बे एवं गांवो में भूमि खरीद फरोख्त का धंधा करता है। वह कई लोगो की भूमि को हड़प कर चुका है। प्रार्थी तथा उसके पुत्र हापूराम ने आपस में मिलकर उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि में बंटवाड़ा को प्रस्तावित कर जो भूमि बतायी गयी है, वो भूमि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ वाली भूमि तथा लाखों रूपयों की कीमती भूमि है तथा कम उपजाऊ वाली भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में रखना बंटवाड़ा प्रस्ताव में बताया गया है। जो बंटवाड़ा प्रस्ताव कतई गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 684/35, 684/45, 684/47, 684/49, 684/51, 684/31, 684/32, 684/33, 684/34, 684/36, 684/39, 684/40, 684/41, 684/42, 684/43, 684/37, 684/38, 684/44, 684/46, 684/48, 684/50, 684/52 की कोई भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं है। प्रार्थी ने अपनी मनमर्जी से खसरा वादपत्र में अंकित कर दिये है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् के अनुसार वादग्रस्त कृषि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 5 रेकर्डेड खातेदार है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 684/35, 684/45, 684/47, 684/49, 684/51, 684/31, 684/32, 684/33, 684/34, 684/36, 684/39, 684/40, 684/41, 684/42, 684/43, 684/37, 684/38, 684/44, 684/46, 684/48, 684/50, 684/52 की भूमि के संबंध में कोई राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी प्रस्तुत नही की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त खसरान की अधूरी जानकारी के अभाव में यह निर्णय कर पाना मुश्किल है कि उक्त खसरान में खातेदारी प्रार्थी की है या अप्रार्थीगण की। प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी में अभिलिखित खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही पक्षकार नहीं बनाने का कोई कारण प्रस्तुत किया गया। सभी रेकर्डेड खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र का निर्णय करना न्यायहित में उचित प्रतित नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध साबित होते है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 7/10/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा